रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 696] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 16, 2017/श्रावण 25, 1939
No. 696] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 16, 2017/SRAVANA 25, 1939

## वित्त मंत्रालय

### (राजस्व विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली 16 अगस्त 2017

**सं. 72/2017-सीमा शुल्क**

**सा.का.नि. 1019(अ).—** सीमा शुल्क अधिनियम( 1962(1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 27/2002-सीमा शुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2002 जिसे सा0का0नि0 124(अ) दिनांक 1 मार्च, 2002 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3 उपखंड (i)में प्रकाशित किया गया था, अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा करने से लोप की गई बातों को छोड़कर, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एततदद्वारा, एतिश्मन संग्लन सारणी के कालम (1) में वर्णित वस्तुओं को उस हद तक सीमा शुल्क के भुगतान से छूट देती है जिस हद तक सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत उनपर लगाया जाता है, जैसा कि उक्त सारणी के कालम 3 में विनिर्दिष्ट है और साथ ही इनको उस संपूर्ण एकीकृत कर से भी छूट प्रदान करती है जो कि उनपर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3 की उपधारा (7) के अंतर्गत लगाया जाता है बशर्तकि कालम 2 में विनिर्दिष्ट सीमाएं और शर्तें पूरी होती हों –

**सारणी**

| माल का विवरण | सीमाएं और शर्तें | छूट की सीमा |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 (1975 का 51) की प्रथम | (1) आयात के पश्चात आयातकर्ता द्वारा माल को पटटे पर लिया गया हो;<br>(2) आयातकर्ता माल के आयात के समय | यदि-<br>(1)माल का पुन: निर्यात इसके आयात की तारीख से तीन महीने के भीतर होता है तो |

| | | |
|---|---|---|
| अनुसूची के अध्याय 84,85,90 या अन्य किसी अध्याय में आने वाली मशीनरी, उपकरण या औजार | यह घोषणा करता है कि माल का आयात अनुबंध को पुरा करने के लिए अस्थायी तौर पर किया जा रहा है;<br>(3) ऐसी मशीनरी या उपकरण , उपकरण या औचार का आयात केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम 2017 की अनुसूची के खंड 1 के मद(ख) या खंड (5) मे मद (च) के अंतर्गत आते हों;<br>(4) उक्त माल का ऐसे निर्यात की तारीख के तीन मास के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो उक्त आयात की तारीख से 18 मास से अधिक की नहीं है जो यथास्थिति, सीमा शुल्क उपायुक्त अनुज्ञात करे;<br>(5) जहां यथास्थिति , सीमा शुल्क सहायक आयुक्त या सीमा शुल्क उपायुक्त पुन: निर्यात के लिए पुर्वोक्त अवधि का विस्तारण करता है वहां आयातकर्ता स्तंभ (3) में सुसंगत खंड के अीन संदेय शुल्क और उनके आयात के समय पहले से संदत्त शुल्क के बीच अंतर का संदाय करेगा;<br>(6) आयातकर्ता बैक गारंटी के साथ बंध पत्र जारी करके अपने को निम्न के लिए प्रतिबंध करता हो-<br>(क) उन सेवाओं की आपूर्ति पर आईजीएसटी, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के अंतर्गत लगने वाले एकीकृत कर का भुगतान करने के लिए जो कि केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम की अनुसूची । के मदों 1 (ख) या 5 (च) के अंतर्गत आती हों;<br>(ख) आयात की तारीख से तीन महीने के भीतर या उपर्युक्त बढाई हुई अवधि के भीतर माल का पुन: निर्यात करना;<br>(ग) पुन:निर्यात के पहले पहचान के लिए माल को सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क या उपआयुक्त, सीमा शुल्क के समक्ष प्रस्तुत करना ;<br>(घ) यदि माल का निर्धारित अवधि के भीतर पुन: निर्यात नहीं होता है तो उक्त आयात के आयात की तारीख और जिस तारीख को शुल्क का भुगतान किया गया है उसके बीच की अवधि तक का बाकी सीमा शुल्क और ब्याज का भुगतान उस दर से करना पड़ेगा जो दर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28कक के | सीमा शुल्क की उतनी राशि तक जितनी की वह 5 प्रतिशत की दर से संगणित राशि से अधिक हो;<br>(2) माल का पुन: निर्यात इसके आयात की तारीख से तीन महीने के पश्चात लेकिन छह महीने के भीतर हो तो सीमा शुल्क की उतनी राशि तक जितनी की वह 15 प्रतिशत की दर से संगणित राशि से अधिक हो;<br>(3) माल का पुन: निर्यात इसके आयात की तारीख से छह महीने के पश्चात लेकिन 9 महीने के भीतर हो तो सीमा शुल्क की उतनी राशि तक जितनी कि वह 25 प्रतिशत की दर संगणित राशि से अधिक हो;<br>(4) माल का पुन: निर्यात इसके आयात की तारीख से 9 महीने के पश्चात लेकिन 12 महीने के भीतर हो तो सीमा शुल्क की उतनी राशि तक जितनी कि वह 30 प्रतिशत की दर से संगणित राशि से अधिक हो;<br>(5) माल का पुन: निर्यात इसके आयात की तारीख से 12 महीने के पश्चात लेकिन 15 महीने के भीतर हो तो सीमा शुल्क की उतनी राशि तक जितने कि वह 35 प्रतिशत की दर से संगणित राशि से अधिक हो;<br>(6) माल का पुन: निर्यात इसके आयात की तारीख से 15 महीने के पश्चात लेकिन 18 महीने के भीतर हो तो सीमा शुल्क की उतनी राशि तक जितनी कि वह 40 प्रतिशत की दर से संगणित राशि से अधिक हो;<br>जो इस प्रकार प्रभार्य शुल्क की बाबत तत्समय प्रवृत किसी अधिसूचना के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अधीन या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन उद्ग्रहणीय होगा । |

| | | |
|---|---|---|
| | अंतर्गत अधिसूचना जारी करके तय की गई हो ; और<br>(ड.) उपर्युक्त किसी भी शर्त के पूरा न होने पर इस अधिसूचना के अंतर्गत दी गई छूट के सिवाय उक्त माल पर लगने वाले एकीकृत कर के बराबर की राशि का मांग किए जाने पर भुगतान करना । | |

**नोट:** इस रियायत के तहत आयात किए जाने वाले माल पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 74 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्रति अदायगी नहीं मिलेगी ।

[फा. सं. 354/186/2017-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

**(Department of Revenue)**

## NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 2017

**No. 72/2017-Customs**

**G.S.R. 1019(E).—** In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.27/2002 – Customs dated the 1st March, 2002 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 124(E), dated the 1st March, 2002 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods of the description specified in column (1) of the Table annexed hereto, from the payment of so much of the customs duty leviable thereon under First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) as specified in column (3) of the said Table and from the whole of the integrated tax leviable thereon under sub-section (7) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 subject to the limitations and conditions specified in column (2) thereof, namely: -

**TABLE**

| **Description of goods** | **Limitations and conditions** | **Extent of exemption** |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| Machinery, equipment or tools, falling under Chapters 84, 85, 90 or any other Chapter of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975). | (1) the goods have been taken on lease by the importer for use after import;<br>(2) the importer makes a declaration at the time of import that the goods are being imported temporarily for execution of a contract;<br>(3) the import of such machinery, equipment or tools is covered under item (b) of clause 1 or item (f) of clause 5 of Schedule II of the Central Goods and Services Act, 2017;<br>(4) the said goods are re-exported within three months of the date of such import | In the case of-<br>(i) goods which are re-exported within three months of the date of import, so much of the duty of customs as is in excess of the amount calculated at the rate of five per cent.;<br>(ii) goods which are re-exported after three months, but within six months, of the date of import, so much of the duty of customs as is in excess of the amount calculated at the rate of fifteen per cent.;<br>(iii) goods which are re-exported after six months, but within nine months, of the |

| | | |
|---|---|---|
| | or within such extended period not exceeding 18 months from the date of said import, as the Assistant Commissioner of Customs or the Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, may allow;<br>(5) where the Assistant Commissioner of Customs or the Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, grants extension of the aforesaid period for re-export, the importer shall pay the difference between the duty payable under the relevant clause in column (3) and the duty already paid at the time of their import;<br>(6) the importer executes a bond, with a bank guarantee, undertaking–<br>(a) to pay integrated tax leviable under sub-section (1) of section 5 of the Integrated Goods and Services Act, 2017 on supply of service covered by items 1(b) or 5(f) of Schedule II of the Central Goods and Services Act, 2017;<br>(b) to re-export the said goods within three months of the date of import or within the aforesaid extended period;<br>(c) to produce the goods before the Assistant Commissioner of Customs or the Deputy Commissioner of Customs for identification before re-export;<br>(d) to pay the balance of customs duty, along with interest, at the rate fixed by notification issued under section 28AA of the Customs Act, 1962, for the period starting from the date of import of the said goods and ending with the date on which the duty is paid in full, if the re-export does not take place within the stipulated period; and<br>(e) to pay on demand an amount equal to the integrated tax along with applicable interest payable on the said goods but for the exemption under this notification in the event of violation of any of the above conditions. | date of import, so much of the duty of customs as is in excess of the amount calculated at the rate of twenty-five per cent.;<br>(iv) goods which are re-exported after nine months, but within twelve months, of the date of import, so much of the duty of customs as is in excess of the amount calculated at the rate of thirty per cent.;<br>(v) goods which are re-exported after twelve months, but within fifteen months, of the date of import, so much of the duty of customs as is in excess of the amount calculated at the rate of thirty-five per cent.;<br>(vi) goods which are re-exported after fifteen months, but within eighteen months, of the date of import, so much of the duty of customs as is in excess of the amount calculated at the rate of forty per cent.,<br>of the aggregate of the duties of customs, which would be leviable under the Customs Act, 1962 read with any notification for the time being in force in respect of the duty so chargeable. |

**Note:** The goods imported under this concession shall not be eligible for drawback under sub-section (2) of section 74 of the Customs Act, 1962.

[F. No. 354/186/2017-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.08.16 23:00:57 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.